

2021/717

3

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आरए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत...2...M... (B)

:- आदेश :-

दिनांक :10/11/2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का.....10.R.J.D.....एवं भू-अभिलेख निरीक्षक.....रोजड़ी.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....घड़साना...../ नायब तहसीलदार.....घड़साना.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम8.R.J.D.....तहसीलघड़साना..... जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2074-77.....में खाता सं. 23.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।) |
|----------|--------------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8.R.J.D | 2 | अजमेर खांदा, अब्दुल रहमान जाति मुसलमान सा रोजड़ी खन-08C शारवा रावलामणी | अजमेर खांदा, अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल खांदा जाति मुसलमान खन-08C शारवा रावलामणी P.M.B |
| | | 3 | अजमेर खांदा, अब्दुल खांदा जाति मुसलमान सा रोजड़ी खातेदार खन-08C शारवा रावलामणी | अजमेर खांदा, अब्दुल खांदा उर्फ अब्दुल खांदा जाति मुसलमान सा रोजड़ी खन-08C P.M.B शारवा रावलामणी |

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/1254-56
प्रतिलिपि:-

दिनांक :10/11/2021

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री...../.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना